



डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक / ३५४/५३। 2020
दिनांक १४.९. 2020

सेवा में,

मुख्य ट्रस्टी,
श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा ट्रस्ट, निकट रेलवे स्टेशन शान्ति नगर, एटा
द्वारा प्रस्तावित संस्था
सी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल,
पी०ए०सी० कम्पाउण्ड, मारहरा रोड़, एटा

विषय:- सम्बद्धता सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 14.08.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व “सम्बद्धता सहमति पत्र” संख्या शैक्षिक / 354 / 2017 दिनांक 24.06.2017 के द्वारा श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा ट्रस्ट, निकट रेलवे स्टेशन शान्ति नगर, एटा द्वारा प्रस्तावित सी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल, पी०ए०सी० कम्पाउण्ड, मारहरा रोड़, एटा के बी०ए०म०एस० (आयुर्वेदिक) पाठ्यक्रम (सीट 100) हेतु जारी किया गया था। शासन के पत्र संख्या 2246 / 96-आयुष-1-2020-125 / 2017 उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग-1 दिनांक 30 जुलाई 2020 निर्गमन की तिथि से तीन वर्ष हेतु “अनापत्ति प्रमाण पत्र” जारी कर दिया गया है। उक्त क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी “सम्बद्धता सहमति पत्र” सत्र 2021-2022 के लिये मान्य होगा।

Mank
कुलसचिव
Mangal AS

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, सी०सी०आई०एम० 61-65, भारतीय चिकित्सा पद्धति भवन, डी०-ब्लॉक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, आयुष मंत्रालय, बी०-ब्लॉक आयुष भवन, भारत सरकार, जी०पी०ओ० कॉम्प्लेक्स, आई०एन०ए० नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ।
4. अधीक्षक कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. गार्ड फाइल।

↑
कुलसचिव



DR. BHIM RAO AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA

(Formerly: Agra University)

No. Acad./354/17
Dated 24/06/2017.

FORM-5

CONSENT OF AFFILIATION

On the basis of the report of the Local Inquiry Committee, the University of Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra has agreed in principle, to affiliate the proposed C.S. Ayurvedic Medical College and Hospital with admission capacity of 100 seats to be established at Mehrara Road, Etah by the Chief Trusty, C.S. Ayurvedic Medical College and Hospital for starting B.A.M.S. course, subject to grant of permission by the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi under section 13A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970)

[Signature]
REGISTRAR

BBM
23/6/17